राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(10)नविवि/3/2012पार्ट **जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित**

आदेश

राज्य सरकार द्वारा खनिज बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में एम–सेण्ड को बढावा देने के लिए राजस्थान एम–सेण्ड नीति–2020 को 25 जनवरी, 2021 से लागू किया गया, जिसके क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.2021 एवं 22.07.2024 द्वारा एम–सेण्ड के उपयोग हेतु निर्देश जारी किये गये।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रेषित अशा.टीप क्रमांक प.14(11)खान/ग्रुप–2/2024 दिनांक 19.08.2026 के अनुसार, बजट घोषणा 2026–27 में खनिज एम–सेण्ड के अधिकाधिक उपयोग एवं संवर्धन हेतु जारी एम–सेण्ड नीति–2024 के अन्तर्गत राजकीय निर्माण कार्यों में एम–सेण्ड की 25 प्रतिशत की अनिवार्यता को 50 प्रतिशत किया गया है।

अतः उक्त आदेशों की निरन्तरता में, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रस्तावानुसार, एम–सेण्ड की उपयोगिता बढाने हेतु इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यादेशों में निम्नानुसार शर्त जोडी जाने की पालना सुनिश्चित की जावेः–

"विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोगित खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 50 प्रतिशत एम–सेण्ड का उपयोग अनिवार्य होगा।"

आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप–2) विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण
6. शासन उप सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
9. सहा0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव–प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<udh.ds1@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :07-09-2026 12:04:41

RajKaj Ref No.: 24388018